The Gazette of India

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

ri. 732]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 29, 2011/वैशाख 9, 1933

No. 732]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 29, 2011/VAISAKHA 9, 1933

गृह मंत्रालय अधिसूचना

· नई दिल्ली, 29 अप्रैल, 2011

का.आ. 909(अ).—केन्द्र सरकार, विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 42) की धारा 1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मई, 2011 की पहली तारीख को, सन्दर्भित अधिनियम के प्रावधानों के प्रवृत्त होने की तारीख के रूप में निर्धारित करती है।

[फा.सं. II/21022/10(1)/2010-एफ.सी.-III]

जी.वी.वी. शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION-

New Delhi, the 29th April, 2011

S.O. 909(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010), the Central Government hereby appoints the 1st day of May, 2011 as the date on which the provisions of the said Act shall come into force.

[F. No. II/21022/10(1)/2010-FC-III]

G V. V. SARMA, Jt. Secy.